श्री अरविन्द
30. 28/1/09

95

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय ( मध्य क्षेत्र )

पंचम तल, केन्द्रीय भवन
सैक्टर एच, अलीगंज
लखनऊ- 22602-
टेलीफैक्स-232402-
दिनांक 26.08.2008

पत्र सं0 8 बी/राज0/06/14/2007/एफ.सी /1139

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर ।

**विषय : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कृष्णगंज से सनपुर सड़क के निर्माण हेतु 4.50 हे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भ: अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नाभिक अधिकारी राजस्थान की पत्र संख्या एफ14( )05/वसु/प्रमुवसं/6608, दिनॉक 12.06.08

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर विशिष्ठ शासन सचिव, राजस्थान सरकार, राजस्थान का पत्रांक प01(21)वन/2007, दिनॉक: 07.03.2007 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण के अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 07/05/2007 के द्वारा अतिरिक्त सूचना मांगी गयी थी, जिसमे उल्लिखित शर्तों की अनुपालना अति0 मुख्य वन संरक्षक एवं नाभिक अधिकारी राजस्थान के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित की गयी। उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित की गयी सूचना पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करना है, कि केन्द्र सरकार **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के** अन्तर्गत कृष्णगंज से **सनपुर सड़क के निर्माण हेतु 4.50 हे0** वन भूमि का प्रत्यावर्तन एवं 527 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है।

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य वन भूमि अर्थात 4.50 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा किया जायेगा। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। इस गैर वन भूमि को आरक्षित वन घोषित किया जायेगा। इस हेतु भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना की एक प्रति प्रस्तावित वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण हस्तान्तरण करने के छः माह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
2. **प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।**
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थान पर यथोचित् वृक्षारोपण एवं रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा करेगा।
4. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों का पुनर्वलोकन मान्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के द्वारा किया जा रहा है। अतः प्रयोक्ता अभिकरण से यह अन्डरटेकिंग भी ली जाए कि अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों मे बढ़ोत्तरी होती है तो अतिरिक्त/अन्तरीय राशि अदा करने के लिए प्रयोक्ता अभिकरण बाध्य होगी।
5. भारत सरकार पत्र संख्या 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 20.05.2006 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या सी0ए0-1581, कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 मे जमा कराया जाये।

उपरोक्त शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाय। प्रयोक्ता अभिकरण को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक कार्यान्वित नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते ।

भवदीय

(आर0के0 सिंह चौहान)
वन संरक्षक (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. वन महानिरीक्षक, एफ0सी0 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-3
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नाभिक अधिकारी, अरण्य भवन, वानिकी पथ, जयपुर, राजस्थान
3. वन मण्डल अधिकारी, सिरोही, राजस्थान।
4. कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग खण्ड, सिरोही, राजस्थान।
5. आदेश पत्रावली ।

(आर0के0 सिंह चौहान)
वन संरक्षक (के0)

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय { मध्य क्षेत्र }

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज,
लखनऊ–226024
टेलीफैक्स–2324025

पत्र सं0 8 बी/राज0/06/14/2007/एफ.सी. /1006

दिनॉकः 02.09.2013

सेवा में,

प्रमुख सचिव {वन},
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर ।

**विषय : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कृष्णगंज से सनपुर सड़क के निर्माण हेतु 4.50 हे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन।**

**सन्दर्भ : प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण), राजस्थान की पत्र संख्या एफ 14 ( ) 2005/उदय/वसु/प्रमुवसं/2003, दिनॉकः 11.03.2013**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान सरकार,राजस्थान का पत्रांक प01(21)वन/07, दिनॉकः 07.03.2007 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 26.08.2008 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमे उल्लिखित शर्तो की अनुपालना अति0 मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी राजस्थान के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कृष्णगंज से सनपुर सड़क के निर्माण हेतु 4.50 हे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन एवं 527 वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है किन्तु शर्त संख्या– 12 की पूर्ण अनुपालन आख्या क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्ध कराने के उपरान्त ही राज्य सरकार द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन के आदेश जारी किये जाएंगे।

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात 4.50 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी गयी 4.50 हे0 गैर वन भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में हो चुका है इसे छः माह के अन्दर आरक्षित वन घोषित किया जायेगा एवं अभिलेख हेतु एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोंनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित् वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 कें आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एंव जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।
7. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जससें निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।
9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आप पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
10. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।

11. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा।

12. प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नही होते हैं।

13. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीया,

(प्राची गंगवार)
उप वन संरक्षक (के0)

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–**

1. अति0 वनमहानिदेशक (एफ.सी)., पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन, वानिकी पथ, जयपुर, राजस्थान ।
3. वन मण्डल अधिकारी, सिरोही, राजस्थान।
4. कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग खण्ड, सिरोही, राजस्थान।
5. आदेश पत्रावली।

03/09/13
(प्राची गंगवार)
उप वन संरक्षक (के0)

# GOVERNMENT OF RAJASTHAN
# DEPARTMENT OF FORESTS

No.F.1(21) Forest/2007

Jaipur, dated: 5 FEB 2014

## ORDER

In reference to the clearance issued by MoEF, GoI vide letter No. 8 B/Raj./06/14/2007/F.C./1006 dated 02.09.2013 for the project proponent Public Works Department for diversion of 4.50 ha. forest area for the purpose of Construction of Krishanganj to Sanupur Road under PMGSY. The State Government hereby accords Approval of Final stage clearance under Section 2 of the Forest (Conservation) Act with the following conditions:-

1. The conditions imposed by MoEF, GoI in their clearance dated 02.09.2013 will be complied by all concerned.
2. This order along with conditions imposed by the Central Government according to Stage -I and Stage II clearances are mandatorily required to be displayed in the website by State Forest Department as well as by MoEF, GoI.
3. The project proponent should publish the entire forest clearances granted in verbatim along with the conditions and safeguards imposed by the Central Government in Forest Clearance in two widely circulated daily newspapers one in vernacular language and the other in English language so as to make people aware of the permission granted to the project proponent for use of forest land for non-forest purposes.
4. The copies of the Forest clearance should also be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
5. Any other condition as and when imposed by the State Government.

(C.S. Ratnasamy)
**Secretary, Forest**

Copy to the following for necessary compliance:-

1. Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Rajasthan, Jaipur.
2. Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Govt. of India, Kendriya Bhavan, Lucknow.
3. Sr. Assistant Inspector General of Forests, In-charge, Monitoring Cell, Forest Conservation Division, MoEF, Govt. of India, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110 510 - with a request to ensure uploading of the order passed by the State Government on the MoEF website.
4. Director, Regional Office (Headquarters), Ministry of Environment & Forests, New Delhi.
5. Addl. Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer (FCA), Rajasthan, Jaipur - with a request to get the order and clearances uploaded on the State Forest Department website.
6. Chief Conservator of Forests, IT, Aravali Bhawan, JLN Marg, Jaipur - to ensure the uploading of the order and clearances on the State Forest Department website.
7. Concerned Regional Chief Conservator of Forests, Udaipur.
8. Dy. Conservator of Forests, Sirohi.
9. Project Proponent Commandant Executive Engineer,Pulic Works Department, Sirohi.

Secretary, Forests